रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-71/2019/1365/22-2-2019-17(254)/2011

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, नैनी**, **प्रयागराज** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी बिन्दा (बन्दी संख्या-5372/98) पुत्र श्री जगन्नाथ, जो-भवनापुर मजरे गढ़ा, थाना-किशुनपुर, जनपद-फतेहपुर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-176/1979** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 307/34** के अधीन **दिनांक 31.03.1980** को **मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में दयायाचिका समिति की संस्तुति, बन्दी द्वारा काटी गयी 21 वर्ष 05 माह 26 दिन अपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2019/1365(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in